न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act], सीतामढी।

विचारणय संख्या–245/2017

सी0आई0एस0 संख्या– 237/2018

बिहार सरकार द्वारा सूचक किशोर राम.....अभियोजन

बनाम्

सूरज कुमार एवं एक अन्य.....अभियुक्तगण

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act], सीतामढी।

उपस्थितः राजीव कुमार–III,

प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act], सीतामढ़ी।

निर्णय की तिथि

23वीं अगस्त, 2026.

(विचारण संख्या 245/2017, सी0आई0एस0 संख्या–237/2018)

प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना कांड संख्या 32/2013, जी0आर0 सं0–2771/2013.

परिवादी/सूचक	बिहार सरकार द्वारा किशोर राम, पिता– श्रीराम, स्थाीयी पता ग्राम– मेलारोड़, थाना–बेला, जिला –सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्त्ताः– श्रीमती शोभा देवी, विशेष लोक अभियोजक	
अभियुक्तगणः– 1. सूरज कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता–रमेश प्रसाद 2. सन्नी कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता– स्व0 गजाधर प्रसाद सभी साकिन– कोट बजार, थाना–सीतामढ़ी, जिला–सीतामढ़ी।	
प्रस्तुतकर्त्ताः– श्री राजीव रंजन सिंह, अधिवक्ता।	

परिशिष्ट–'बी'

अपराध का दिनांक	06.09.2013
प्राथमिकी का दिनांक	07.09.2013
आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	13.02.2014

आरोप गठन का दिनांक	01.09.2023
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	06.10.2023
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	23.07.2026
निर्णय का दिनांक	23.07.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का क्रमांक	अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार/उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्ध	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोध की अवधि
1.	सूरज कुमार	16.01.2014	16.01.2014	u/s 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 I.P.C. एवं u/s 3(1)(X) SC/ST (POA) Act.	**दोषमुक्त**	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	सूरज कुमार	16.01.2014	16.01.2014	u/s 341/34,	**दोषमुक्त**	कोई नहीं	कोई नहीं

				323/34, 504/34, 506/34 I.P.C. एवं u/s 3(1)(X) SC/ST (POA) Act.			

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1	किशोर राम	सूचक

'बी'.प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	P01/PW01	लिखित आवेदन पर किशोर राम का हस्ताक्षर

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. सूरज कुमार, 2. सन्नी कुमार का विचारण भा0द0सं0 की धारा– 341, 323, 504, 506/34 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा– 3(1)(X) के अन्तर्गत ग्राम–मेला रोड़, थाना–सीतामढ़ी, जिला –सीतामढी में दिनांक 06.09.2013 को सूचक को जान से मारने की धमकी एवं अभद्र जाति सूचक शब्द देने के अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचक किशोर राम के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि दिनांक 06.09.2013 को आर0 डी0 पैलेस सीनेमा रोड में वैष्णो देवी मंदिर के पास रोड किनारे रिक्सा लगाकर सवारी का इंतजार कर रहा था कि सूरज कुमार तथा सन्नी कुमार दुर्गा स्थान माई मंदिर के बगल में कोट बजार निवासी जो मेरे पूर्व से परिचित है तथा मेरे रिक्सा पर वे दोनों अक्सरहा आते जाते हैख मेरे पास आए और बोले कि तुम्हारा रिक्सा खाली है तो मै कहा कि जी खाली है। उसके बाद दोनों रिक्सा पर बैठे तो मैने पूछा कि कहॉ चलना है तो उसके बाद व दोनों बोले कि तुमहो भाड़ा से काम है, जिधर कहता हूँ उधर चलो। उसके बाद वे दोनों रिक्सा पर बैठकर मुझे जानकी स्थान चलने को कहे और वहॉ जाने पर गोशाला चौक पर शराब के दुकान के पास ले गये और वे दोनों रिक्सा से उतरकर शराब पिए, फिर बैइ गये और रीगा रोड में बस स्टैड के पास ले

जाकर रोड किनारे दुकानदार से कुछ बात चीत किए फिर सोनापटी में उतर की गली के तरफ ले गये और रिक्सा रोकवाकर किसी के यहॉ जाकर घंटा डेढ़ घंटा बात किए फिर रिक्सा पर आकर बैठ गयो और महंथ साह चौक पर रिक्सा रोकवाकर बंगल में अंग्रेजी शराब की दुकान में चले गये और वहॉ भी दुकान की गली जो दक्षिण की ओर जाती है उसमें खड़ा होकर दोनों दारु पिए और फिर हमारे रिक्सा पर आकर बैठ गये और बोले कि आर0 डी0 पैलेस सिनेमा के पास चलो। वहॉ आने पर वहॉ से थोडा उतर मोटर साइकिल दुकान के पास रिक्सा रोकवाए उस समय तक शाम के 8:30 बजे से अधिक हो गया था और दोनों उसके बोले कि तुम यही पर रुको हम नाइट सो सिनेमा देख लेते है। उसके बाद शर में मेरे घर पर पहुॅचा देना। इस पर मैनें कहा कि बाबू मैं 5 बजे से अभी तक नास्ता पानी नहीं किया हू आप मुझे भाड़ा दे दिजिए मै घर जाउगा। इस पर वे लोग भाड़ा पूछे तो मैने कहा कि 200 रुपया चाहिए। यह सुनकर दोनों आग बमुला हो गये और मुझे बोले कि चमार जात का होकर साला तुर रंगदार बनता है और हम लोगों से इस तरह भाड़ा मांगता है। तुमको मालूम है कि हमारे डर से इस शहर में कोई बोलता नहीं है। इस पर मै जबान संभाल कर बोलने की बात कही तो वे दोनों बोले कि साले चमरवा का मन बढ़ गया है और दोनों अपने अपने पैर से जूता निकालकर मुझको कई जूता मारे और दोनों साला माधरचोद चमार बोलते रहे। जब मै चिल्लाना शुरु किया तो दोनों मिलकर मरा मुहॅ और गर्दन जोर से दबा दिये और कहे कि इसी जगह खत्म कर देगें।

3. सूचक के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बेला थाना कांड संख्या– 32/2013 दिनांक 07.09.2013 अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 एवं धारा– 3(1)(X) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट प्राथमिकी दो अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर, उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. सूरज कुमार, 2. सन्नी कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504, 506/34 भा0द0सं0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया।

5. आरोप पत्रित अभियुक्तगण 1. सूरज कुमार, 2. सन्नी कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504, 506/34 भा0द0सं0 एवं धारा– 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट में संज्ञान दिनांक 04.04.2014 को लिया गया है।

6. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. सूरज कुमार, 2. सन्नी कुमार विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0द0सं0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तों ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

7. अभियुक्तों का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

विचारणीय बिन्दू

8. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

9. अभियोजन द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के क्रम में कोई भी दास्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्षी प्रस्तुत किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से कोई भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. बचाव पक्ष का बचाव है कि वे निर्दोष है तथा उन्होंने घटना कारित नहीं किया है।

12. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि इस वाद में मात्र एक अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में सूचक के साथ गाली–गलौज तथा मारपीट का समर्थन किया है। मुकदमा सुलह होने के कारण साक्षियों ने एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट के आरोपों का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0द0सं0 का आरोप सिद्ध होता है। इस प्रकार विद्वान विशेष लोक अभियोजक कानून के अनुसार निर्णय करने की प्रार्थना करते हैं।

13. बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद में मात्र एक अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षण में मारपीट एवं गाली देने का आरोप का समर्थन नहीं किया है, परन्तु प्रति–परीक्षण के क्रम में साक्षियों ने कहा है घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा था। मुझे एस0सी0/एस0टी0 समझकर अभियुक्तों गाली–गलौज नहीं किया था और ना ही प्रताड़ित किया था। मैं अभियुक्तों से सुलह सलाह कर लिया हूँ। भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सभी आरोप अभियुक्तों के विरूद्ध साबित नहीं होता है। इस प्रकार, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तों को सभी आरोपों से मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या **1. किशोर राम** है। इस साक्षीयों ने अपने साक्ष्य में कहा है, कि मै सइ वाद का सूचक हूँ। घटना दिनांक 06.09.2013 की है। अभियुक्त सूरज कुमार एवं सन्नी कुमार ने मेरे साथ गाली गलौज मारपीट किया। घटना के संबंध में मैंने लिखित आवेदन थानाध्यक्ष एस. सी.एस.टी थाना सीतामढ़ी को दिया, जिसके आधार पर थाना कांड संख्या 32/2013 दर्ज हुआ। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है, लिखित आवेदन पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को पहचान किया हे, जिसे प्रदर्श–पी.01/पी.डब्लू–01 अंकित किया जाता है। आज न्यायालय में अभियुक्त सुरज और सन्नी उपस्थित है को पहचानता हूँ।

बचाव पक्ष की ओर से किए गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है दोनों मुदालहों से राजी खूशी से यह मुकदमा सुलह कर लिया हूँ। न्यायालय में सुलहनामा दाखिल किया हूँ। सुलहनामा पर मेरा और अधिवक्ता का हस्ताक्षर है। मुदालहो ने मुझे अनुसूचित जाति का सदस्य समझकर और अनुसूचित जाति का गाली नहीं दिया था। रिक्शा भाड़ा को लेकर अभियुक्तों से बाता बाती हुआ था। आवेदन किसके द्वारा तैयार किया गया था, उसका नाम मैं नहीं बता सकता और लिखित आवेदन को पढ़कर मुझे नहीं सुनाया गया था। अभियुक्तगण को अपना ग्रामीण होने के कारण पहचानता हूँ।

मंतव्य

18. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से मात्र एक अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। इस वाद में अनुसंधानकर्त्ता का साक्ष्य नहीं कराया गया है अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से विदित है कि उन्होंने मारपीट एवं गाली देने की बात कही है। अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से विदित है कि घटना के समय अभियुक्तगण 1. सूरज कुमार, 2. सन्नी कुमार मुझे जाति सूचक शब्द कहकर गाली नहीं दिया था। पक्षकारो में सुलह हो गया है। संयुक्त

सुलहनामा दाखिल किया गया है। चिकू भा0न्या0सं0 की सभी आरोपित धारा संदेही है। किशोर राम के साथ किसी प्रकार का जाति सूचक शब्द कह कर अपमान नहीं किये। सूलह के संबंध के बारे में गवाहों ने बताया है ऐसी परिस्थिति के यह स्पष्ट है कि कोई भी आरोपित धाराओं को साबित करने में असफल रहा। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण 1. सूरज कुमार, 2. सन्नी कुमार को धारा – 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0द0सं0 एवं धारा– 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट के आरोपों को साबित करने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार करने पर यह विदित है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

19. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मन्तव्य एवं अभियोजन साक्ष्य की विवेचना एवं दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता के बहस पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि अभियोजन विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामित अभियुक्तों 1. सूरज कुमार, 2. सन्नी कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0द0सं0 एवं धारा– 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट को सभी युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

20 . उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, अभियुक्तगण **1. सूरज कुमार, 2. सन्नी कुमार** को आरोप अंतर्गत धारा– 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0द0सं0 एवं धारा– 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट से **निर्दोष** पाते हुए उन्हें इन सभी आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्व से उनमुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धिकृत एवं
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-

(राजीव कुमार–III)
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–
विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act],
सीतामढ़ी।
दिनांक–23.07.2026.

Sd/-

(राजीव कुमार–III)
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–
विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act],
सीतामढ़ी।
दिनांक–23.07.2026.